

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी  
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर०ए०एस०

मुकदमा नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

45 / 2024

4.10.2024

29.8.2025

रोशनदेवी पत्नी धारासिंह, गुर्जर निवासी बाढ भांवता तह० तलावडा —प्रार्थिया  
बनाम

सरकार जरिए तहसीलदार तलावडा

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राज० अधिनियम  
उपस्थित :- श्री तरुण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थिया की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की भूमि हाल ख०न० 201 रकबा 0.08 है०, ख०न० 247/199 रकबा 0.29 है० ग्राम बाढ भांवता मे स्थित है। जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थिया द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा बाबत चारो ओर से मिट्टी की डौल मेड बनायी हुई है। बरसात काल मे मिट्टी की डौल मेड टूट जाने पर उसकी मरम्मत करवाने पर आस पास के खातेदारों से सीमाचिन्हो को लेकर विवाद होता रहा है। इसलिए प्रार्थिया को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया की भूमि ख०न० 201 रकबा 0.08 है०, ख०न० 247/199 रकबा 0.29 है० ग्राम बाढ भांवता की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं० 2073 से 2076 खाता संख्या 70 ग्राम बाढ भांवता, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट बाढ भांवता दिनांक 28.06.2022 प्रस्तुत किए हैं।


प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

वकील प्रार्थिया को सुना गया।

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 28.06.2022 से स्पष्ट है कि प्रार्थिया को उनकी भूमि ख०न० 201 रकबा 0.08 है०, ख०न० 247/199 रकबा 0.29 है० ग्राम बाढ भांवता तह० तलावडा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थिया को पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि ख०न० 201 रकबा 0.08 है०, ख०न० 247/199



  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज०)

( 2 )

रकबा 0.29 है० ग्राम बाढ भांवता तह० तलावडा की पत्थरगढी कराने की अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थिया को उनकी खातेदारी भूमि ख०न० 201 रकबा 0.08 है०, ख०न० 247/199 रकबा 0.29 है० ग्राम बाढ भांवता तह० तलावडा पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.8.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( बृजिन्द्र मीना )  
उप जिला कलक्टरारी  
गंगानपुर सिटी (राज०)